धरना, प्रदर्शन, जुलूस पर रोक 48 घंटे पूर्व लेनी होगी अनुमति

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 6 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अर्पित वर्मा द्वारा जिले में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, धरना, जुलूस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है, कोई भी व्यक्ति,

धारा 163 के तहत आदेश जारी

संगठन, संघ आदि यदि धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली आयोजित करना चाहते है, तो इसके लिए एसडीएम से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वर्मा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अन्य अस्त्र-शस्त्र, आग्नेस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, बरछी, फरसा, कुल्हाड़ी, तीर-धनुष एवं धारदार हथियार लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता सार्वजनिक सभा एवं अन्य स्थानों पर साथ लेकर नहीं चलेगा व सशस्त्र जुलूस में भाग नहीं लेगा और न ही किसी को प्रेरित करेगा।

इसके साथ ही जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट श्योपुर परिसर के 100 मीटर को परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस सभा अथवा रैली के प्रदर्शन के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत अनुमति लिए बगैर नहीं किया जावेगा।

5 से अधिक लोगों का समूह एकत्र नहीं होगा

आदेश के तहत कलेक्टर एवं संयुक्त जिला कार्यालय परिसर श्योपुर जिला श्योपुर तथा उसके चारों और 100 मीटर की परिधि को धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस, सभा नारेबाजी, ध्वनि-विस्तारक यंत्र के उपयोग हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया किया गया है। उक्त क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, सभा नारेबाजी या ज्ञापन-संग्रह नही किया जाएगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्र नही होगा। कोई भी व्यक्ति, संगठन या संघ यदि धरना, प्रदर्शन या रैली आयोजित करना चाहता है तो उसे कम से कम 48 घंटे पूर्व जिला प्रशासन को लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होगा, और आवेदन में आयोजन का उद्देश्य, समय, स्थान संभावित उपस्थित जनसंख्या एवं सुरक्षा का उल्लेख करना आवश्यक होगा तथा प्रशासन द्वारा निर्धारित नियत स्थल पर ही अनुमति दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र विस्फोटक पदार्थ या किसी भी प्रकार का घातक सामान लेकर प्रवेश करने की अनुमति नही होगी। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आज दिनांक 06 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।

बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन पर वीसी आयोजित

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 6 अप्रैल। श्रम विभाग मध्यप्रदेश शासन के सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से चंबल संभाग के जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि बंधुआ मजदूरी प्रथा का शत प्रतिशत उन्मूलन की दिशा में कार्य किया जायें, बंधुआ मजदूरी से संबंधित घटनाएं सामने आने पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने कहा कि ग्रामों में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं के माध्यम से इस प्रथा पर संवाद आयोजित किये जायें तथा पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों, पटवारियों आदि स्थानीय अमले के माध्यम से निगरानी रखी जायें तथा यह सुनिश्चित किया जायें कि कोई भी श्रमिक इस प्रकार की प्रथा से पीडित तो नही है। उन्होंने कहा कि इस सामाजिक बुराई को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायें तथा मैदानी अमले और समुदाय के बीच निरंतर संवाद की स्थिति बनाकर रखी जायें, जिससे इस प्रकार की घटनाओं के बारे में समय रहते जानकारी मिल सकें।

इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने जानकारी दी कि श्रम विभाग सहित राजस्व अधिकारियों के माध्यम से ईट भट्टों सहित अन्य व्यवसायिक उपक्रमों का निरीक्षण कराया जाता है।

स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करने के निर्देश

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा श्रम विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशो के क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा श्रम पदाधिकारी श्योपुर को निर्देश दिये है कि औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य सुधार एवं उन्हें बेतहर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक कलस्टरो में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जायें। इसके साथ ही जिला स्वास्थ्य समिति भी प्रत्येक माह आयोजित होने वाले बैठक में वरिष्ठ ईएसआईएस (कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं) को शामिल किया जायें, जिससे ईएसआईएस तथा स्वास्थ्य विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हों। शासन के निर्देशानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संगठित क्षेत्र के बीमित श्रमिको को निवारक देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जायें। इसके साथ ही श्रमिको हेतु निवारक स्वास्थ्य देखभाल के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों टीबी उन्मूलन, एनसीडी स्क्रीनिंग और टीकाकरण अभियान से जोडा जायें।

बाल विवाह, जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 6 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिये कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जायें, ग्रामीण

प्रगणकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जाएं : डीएम

क्षेत्र में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाईजर के माध्यम से लोगों को सामाजिक रूप से जागरूक किया जायें। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, जन अभियान परिषद, एनआरएलएम आदि विभागों से समन्वय कर गांव-गांव में बैठक आयोजित की जायें, स्वसहायता समूहों की साप्ताहिक बैठकों तथा ग्राम संगठन और संकुल स्तर की मासिक बैठकों में भी बाल विवाह जैसी कुरीति के दुष्परिणामों पर संवाद आयोजित किये जायें। वे आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिशा-निर्देश प्रदान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया 19 अप्रैल सहित विभिन्न तिथियों में होने वाले सामुहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजकों से भी चर्चा की जायें तथा इन सम्मेलनों में कोई भी वर-वधु क्रमश: 21 एवं 18 वर्ष से कम आयु के शामिल न हो, इसके साथ ही उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिये।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक के दौरान सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सौम्या आनंद, एसडीएम गगन सिंह मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। एसडीएम विजयपुर अभिषेक मिश्रा वर्चुअली माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने बैठक के दौरान सभी चार्ज जनगणना अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वे अपने-अपने मुख्यालयों पर प्रगणकों एवं सुपरवाईजर का प्रशिक्षण आयोजित करें। प्रत्येक चार्ज मुख्यालय को फील्ड ट्रेनर्स उपलब्ध करा दिये गये है, प्रत्येक बैच में 50-50 प्रगणकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जायें।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा ने एसडीएम विजयपुर को निर्देश दिये कि नगरीय क्षेत्र विजयपुर में साफ-सफाई के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जायें। उन्होंने कहा कि नगर परिषद अंतर्गत सभी सफाई कर्मियों को शामिल करते हुए क्षेत्रवार सफाई के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया जायें और नियमित सफाई के अलावा इन टीमों के माध्यम से विशेष सफाई अभियान आयोजित किये जायें।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने बैठक के दौरान एचपीवी वैक्सीनेंशन कार्य की समीक्षा करते हुए सीएमएचओ डॉ दिलीप सिकरवार को निर्देश दिये कि माह के अंत तक शत प्रतिशत वैक्सीनेंशन सुनिश्चित किया जायें, वर्तमान में 3900 किशोरी बालिकाओं का वैक्सीनेशन हो चुका है और 1300 डोज जिले में उपलब्ध है।

इसके अलावा उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत अनुभाग स्तर पर कार्य करने, अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिये।

समय सीमा में हो प्रकरणों का निराकरण

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा द्वारा टीएल बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाइन एवं जनसुनवाई के प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित किया जायें। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण करने के निर्देश दियें। उन्होंने कहा कि अधिकारी भ्रमण के दौरान बुनियादी सुविधाओं का आंकलन करें, विशेषकर पेयजल से संबंधित समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से किया जायें।

प्रधान जिला न्यायाधीश ने किया जिला जेल का निरीक्षण

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 6 अप्रैल। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर कपिल मेहता द्वारा जिला जेल श्योपुर का निरीक्षण किया गया तथा जेल में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से बंदियों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी प्रदान की गई।

माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्योपुर श्री मेहता द्वारा जिला जेल की बैरकों, वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष, पाकशाला, टॉयलेट इत्यादि का निरीक्षण किया गया। साथ ही बंदीजनों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराते हुये उन्हें विधिक सहायता एवं अपीलीय अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की गई एवं उनके प्रकरणों के संबंध में भी विधिक चर्चा की गई। उक्त निरीक्षण सह विधिक जागरूकता शिविर के दौरान श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी मजुमदार, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, योगेश बंसल, जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं जेल स्टॉफउपस्थित रहा।

शादी की बात पर मारपीट

श्योपुर, 6 अप्रैल। थाना विजयपुर फरिया. गीता पत्नी सूरज आदिवासी उम्र 35 साल नि. शिवलालपुरा ने रिपोर्ट की कि फरियादी के घर के बाहर शिवलालपार आरोपीगण, नेकराम पुत्र लोंडू आदिवासी, बैजनाथ पुत्र नेतराम आदिवासी, दीनदयाल पुत्र चेतराम आदिवासी नि.गण सदर ने शादी की बात को लेकरगालियां दीं व मारपीट कर चोट पहुंचाई एवं जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बीएनएस कामय कर लिया है।

कन्या परिसर में रिक्त सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा 10 को

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 6 अप्रैल। जनजातीय कार्य विभाग अतंर्गत संचालित विशिष्ट आवासीय संस्था माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर ढेगदा श्योपुर में सत्र 2026-27 हेतु अनुसूचित जनजाति छात्राओं को कक्षा वार रिक्त सीटो पर ऑफ्लाइन परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिये जाने हेतु प्रक्रिया संचालित है तथा ऑफ्लाइन परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र गत 1 अप्रैल से विद्यालय में प्राप्त किये जा रहे है। संस्था स्तर पर परीक्षा 10 अप्रैल को होगी।

प्राचार्य सुश्री कामिनी पाठक ने बताया कि रिक्त सीटों पर प्रवेश ऑफ्लाइन परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर दिया जायेगा। उन्होने बताया कि कक्षा 6वी में प्रवेश ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मिलेगा, जबकि कक्षा 7 से कक्षा 12 तक की कक्षाओं में रिक्त सीटो के लिए आवेदन जमा कराये जा सकते है।

उन्होंने बताया कि विद्यालय की कक्षा 6 में रिक्त 70 सीटो के लिए प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संपन्न होगी, जबकि विद्यालय की कक्षा 7 से कक्षा 12 तक की रिक्त सीटो पर प्रवेश के लिए विद्यालय द्वारा 10 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी। उन्होने बताया कि कक्षा 7 में 14, कक्षा 8 में 16, कक्षा 9 में 28, कक्षा 10 में 43, कक्षा 11 में 45 तथा कक्षा 12 में 57 सीटे रिक्त है। कक्षा 11वी एवं 12वी अंतर्गत कला एवं विज्ञान समूह में प्रवेश दिया जायेगा।

मलेरिया नियंत्रण के लिए जागरूकता एवं समीक्षा बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज
श्योपुर, 6 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री वर्मा के मार्गदर्शन एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ एनएस बिंदल के निर्देशन में जिले में मलेरिया नियंत्रण के लिए व्यापक गतिविधियां संचालित की जा रही है।

इसी क्रम में एमटीएस अरविन्द गर्ग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दाँतरदा एवं मानपुर का भ्रमण किया गया। इस दौरान दोनों स्वास्थ्य केंद्रों पर लैब विजिट कर कार्यों की समीक्षा एवं रिपोर्टिंग की गई। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर में मानपुर एवं जैनी उप स्वास्थ्य केंद्र की आशा सहयोगियों एवं आशा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आशा कार्यकर्ताओं के मलेरिया उन्मूलन संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में नियमित रूप से भ्रमण कर लार्वा सर्वे करें तथा समुदाय को मलेरिया से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करें।

जनसमुदाय को बताया गया कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु घर एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखें तथा शाम के समय नीम की पत्तियों का धुआँ करें। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि कोई भी बुखार मलेरिया हो सकता है, अत: बुखार के मरीज मिलने पर तुरंत खून की जांच कराई जाए। इसके अतिरिक्त लोगों को सोते समय मच्छरदानी के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया, जिससे मलेरिया के प्रसार को रोका जा सके।

एक नजर में

तार हटाने को लेकर मारपीट

श्योपुर, 6 अप्रैल। थाना देहात मारपीट फरि . सुरजीत पुत्र महेन्द्र सिंह सिक्ख उम्र 55 साल नि . रुपनगर ने रिपोर्ट की कि दि . 05 .04 .26 के 12 .30 बजे स्थान फरि . के पास वाला खेत रुपनगर आरोपगण, संदीप सिंह, निर्मल सिंह, निरन्दर सिंह नि .गण सदर ने फरि को लाईट के तार हटाने की बात को लेकर मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां दी मारपीट कर चोट पहुंचाई एवं जान से मारने की धमकी दी।

30 किलो 750 ग्राम गांजा जप्त

श्योपुर। थाना देहात 30 किलो 750 ग्राम गांजा पकडा आरोपीगण, हरिओम पुत्र धनराज सुमन नि . कोटा डाढदीप (राज .), गौरव पुत्र पनमान्द सुमन नि . कोटा डाढदीप (राज .), बलवीर पुत्र नारायण मीणा नि . नागर गावडा देहात, बलराम मीणा नि . ढोटी को दि . 05 .04 .26 के 11 .51 बजे स्थान निमोदा तिराहे के पास श्योपुर आरोपीगणो के कब्जे से 30 किलो . 750 ग्राम गांजा कीमती 06 लाख 15 हजार रु . कार से ले जाते हुये पकडे कुल मशरुका 20 लाख 05 हजार रु . 1 .30 किलो . 750 ग्राम गांजा, अर्टिका कार, मोबाईल जप्त किये ।

लड़की को लेकर मारपीट

श्योपुर। थाना बडौदा मारपीट फरिया . जगन्नाथी बाई पत्नी स्व . पून्यालाल सुमन उम्र 65 साल नि . पान्डोला ने रिपोर्ट की कि दि . 04 .04 .26 के 16 .00 बजे स्थान फरिया के घर के बाहर चबूतरा पाण्डोला आरोपी लक्ष्मण सुमन नि . सदर ने फरिया . व उसके पोते लक्ष्मण को लडकी रामबती की बात को लेकर मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां दी मारपीट कर चोट पहुंचाई एवं धक्का देकर गिरा दिया ।

भाजपा स्थापना दिवस पर नगर मण्डल सबलगढ़ बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज
सबलगढ़, 6 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी नगर मण्डल सबलगढ़ के द्वारा भाजपा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज भाजपा कार्यालय पर एक भव्य एवं गरिमामय बैठक का आयोजन किया गया कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी नगर मण्डल सबलगढ़ के अध्यक्ष बसंत बंसल के सानिध्य में हुआ।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र मरैया प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष भवानी सिंहजी जादौन विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने भाजपा कार्यालय पर पार्टी का ध्वज फहराकर एवं पितृपुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम संचालन का दायित्व राजेश गौड़ सिंगरौली महामंत्री द्वारा गरिमापूर्ण ढंग से निभाया गया तथा आभार व्यक्त उपाध्यक्ष अरविन्द सिंहजी जादौन द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता दर्शन सोनी (पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष) रुबी जुगलकिशोर धानुक महामंत्री फिरोज़ खान मिलिंद वर्मा उपाध्यक्ष रामप्रताप सिंह जादौन, उपाध्यक्ष डॉ पदम सिंह जादौन धर्म सिंह जादौन मंत्री, रेणुका बंसल उपाध्यक्ष नंदिनी कौशिक भरत शर्मा, शिवदयाल शांडिल नितिन सोनी उपाध्यक्ष रीना शर्मा नंदिनी कौशिक सुनील शर्मा मंत्री देवाशीष सरकार मिडिया प्रभारी बसंत धाकड़ नागेन्द्र सिंह जादौन पुरुषोत्तम सोनी अरविन्द मंगल ममता कौशल, सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे।

47 वाँ स्थापना दिवस पर मुखर्जी और उपाध्याय को याद किया

सबलगढ़, 6 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी के 47 वें स्थापना दिवस के भाजपा नेताओं ने जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के फोटो चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता श्री शिवेंद्र शर्मा एवं पवन सिंह राठौर ने कहा कि जनसंघ से लेकर आज तक श्रद्धेय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अटल बिहारी वाजपेई जी राजमाता विजयराजे सिंधिया जी कुशाभाऊ ठाकरे जी एवं कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी को खड़ा करने में अपना जीवन खपा दिया तब जाकर आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता श्री शिवेंद्र शर्मा जी भाजपा नेता कुल्दीप शर्मा जी ,पूर्व महामंत्री नगर मंडल पवन सिंह राठौर जी नगर मंडल उपाध्यक्ष सूरज खान, रवि उपाध्याय प्रकाश जादौन,अनसूचित मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप वित्तल,संजय बंसल, रघुवीर जाटव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।